उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग--4

संख्या बी0-4-432/दस-96-6-65

लखनऊ, दिनांक 13 सितम्बर, 1996

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋणों एवं अग्रिमों (स्वायत्तशासी निकायों को जल सम्पृति योजना के लिये ऋण को छोड़कर) पर वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिये अन्तिम रूप से ब्याज की प्रभावी दरें निम्नलिखित होंगी :--

क्रम-संख्या	ऋण की किस्म	ऋण की अवधि	वार्षिक ब्याज की दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)
1	2	3	4
1--यू0 पी0 एफ0 सी0, पिकप, यू0 पी0 एल0 आई0 डी0 सी0, यू0 पी0 एल0 आई0 सी0 आदि जैसी संस्थाओं, जो औद्योगिकरण को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं, को ऋण-	दस वर्ष की अवधि तक		14.50
2--(क) सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में मध्यम एवं वृहत स्तरीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं को कार्यशील पूंजी, अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट के लिये ऋण	दस वर्ष की अवधि तक		18.50
(ख) "क" में वर्णित संस्थाओं को कार्यशील पूंजी, अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट से भिन्न ऋण	दस वर्ष की अवधि तक		16.00
3--(क) सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में लघु स्तरीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं को कार्यशील पूंजी, अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट के लिये ऋण	दस वर्ष की अवधि तक		18.50
(ख) "क" में वर्णित संस्थाओं को कार्यशील पूंजी, अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट से भिन्न ऋण	दस वर्ष की अवधि तक		14.50
4--लघुत्तर उद्योगों के लिये ऋण	चार वर्ष की अवधि तक चार वर्ष से अधिक किन्तु नौ वर्ष से अधिक नहीं		11.00 11.50
5--उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् तथा यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 को ऋण	दस वर्ष की अवधि तक (उ0 प्र0 राज्य विद्युत के ऋणों हेतु अवधि अभी तय नहीं)		14.50
6--अन्य ऋण	दस वर्ष की अवधि तक		14.50

2--वित्तीय वर्ष 1996-97 में राज्य सरकार द्वारा जो ऋण की स्वीकृतियां अनन्तिम ब्याज दर पर जारी की गई है, उसमें ब्याज की दरों को तद्नुसार अन्तिम रूप देने हेतु आवश्यक संशोधन तुरन्त जारी कर दिया जाय।

3--स्वीकृत ऋणों पर देय ब्याज की गणना वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के पैरा-225 में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

4--जल सम्पृति की योजना के लिये ऋणों पर ब्याज की दर निम्नवत् होगी :--

(क) विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में ऋणों पर ब्याज की दर इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट एसोसियेशन तथा राज्य सरकार द्वारा निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार होगी।

(ख) अन्य क्षेत्रों के लिये ऋण पर ब्याज की दर जीवन बीमा निगम से जल-सम्पृति योजना के लिये प्राप्त होने वाले ऋणों के लिये प्रचलित ब्याज की दर से समतुल्य होगी।

5 –ब्याज की उक्त दरें प्रभावी (इफेक्टिव) दरें हैं। स्वीकृति के आदेशों में ब्याज की दरें उपरोक्त प्रभावी दरों से 3-1/2 प्रतिशत (साढ़े तीन प्रतिशत) अधिक निर्धारित की जायेंगी और उनमें इस आशय की शर्त रहेगी कि नियत समय पर ऋण/ब्याज का प्रतिदान/भुगतान करने की दशा में ब्याज की दर में 3-1/2 प्रतिशत (साढ़े तीन प्रतिशत) की छूट दी जायेगी अर्थात् प्रभावी दर (इफेक्टिव रेट) पर ही ब्याज लिया जायेगा। ऋण/ब्याज का समय से प्रतिदान/भुगतान न होने पर अथवा कोई कालातीत रहने पर ऋण की स्वीकृति के आदेश में निर्धारित दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात् ब्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऋण/ब्याज का समय से प्रतिदान/भुगतान करने में वितय (डिफाल्ट) होने पर स्वीकृति के आदेश में निर्धारित दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात् ब्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी। ब्याज की दण्डात्मक दर मूल राशि और/अथवा ब्याज की अतिदेय किस्तों पर उसकी अदायगी की निश्चित तारीख से वास्तविक अदायगी की तारीख से ठीक पूर्व की तारीख तक लागू होगी।

6–सरकारी निगमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरों के आदेश पृथक रूप से राजस्व व कृषि विभाग द्वारा निर्गत किये जाते हैं तथा राज्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दरें अलग से निर्धारित की जाती हैं।

7–साधारणतया कोई भी ऋण दस वर्ष से अधिक की प्रतिदान अवधि का नहीं स्वीकृत किया जायेगा किन्तु ऐसे मामले जिनमें प्रतिदान की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो, शासन को संदर्भित किये जायं। ऋण की प्रतिदान अवधि ऋण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाये और इस अवधि को कम से कम अवधि के लिये ही सीमित रखा जाये।

8–निर्धारित तिथि से पूर्व अदा की गई किसी भी किस्त को पूरी तरह मूल-राशि के लिये ही समझा जायेगा चाहे उसके साथ अद्यतन तिथि तक किस्त की वास्तविक आदायगी के लिये देय ब्याज भी हो। अगर ऐसा नहीं है तो किस्त की राशि पहले पूर्ववर्ती और चालू अवधि के लिये देय ब्याज के साथ समायोजित की जायेगी और अगर कोई शेष राशि हो तो उसे मूलराशि के साथ प्रयुक्त किया जायेगा। जहां किस्त अदायगी निश्चित तारीख से 14 अथवा उससे कम दिन पहले की गई हो तो ब्याज पूरी अवधि के लिये देय होगा।

9–यदि किसी योजना पर ब्याज की दर जो अन्तिम नहीं है, अनुच्छेद 1 व 4 में दी गई ब्याज की दरों से अधिक है तो ऐसी स्थिति में अधिक ब्याज की दर लागू रहेगी।

10–यदि ऋण की अवधि में संशोधन करके अवधि बढ़ाई जाती है तो ब्याज की दर लम्बी अवधि से समतुल्य होगी, मानों ऋण बढ़ी हुई अवधि के लिये स्वीकृत किया गया था। ऐसे मामलों में जब ऋण की वापसी-अदायगी शुरू हो चुकी हो तो ऋण की अवधि में विस्तार किये जाने की तारीख तक ऋण के बचे भाग पर ब्याज की संशोधित दर लागू होगी।

11–उन मामलों में जहां ऋणों को रियायती दर पर अथवा ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया जाता है, वापसी-अदायगी में कोई चूक होने अथवा ऋण का उपयोग भिन्न प्रयोजन के लिये किये जाने की स्थिति में ऋणों पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य दरों पर ब्याज प्रभावी होगा।

12–यदि किसी मामले में इस कारण ब्याज रियायती दर पर लिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले साधारण ब्याज की दर के अन्तर के बराबर भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है तो ऐसे समस्त मामले तुरन्त वित्त विभाग को ब्याज दर निर्धारित करने के लिये भेज दिये जाने चाहिये तथा साथ में भारत सरकार के नवीनतम् लिखित आदेश की एक प्रति भी भेजी जानी चाहिये जिसमें उन्होंने ब्याज की दर की सहायियत करने की सहमति प्रदान की हो।

13–जिन मामलों में राज्य सरकार भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का ऋण उनके एजेण्ट के रूप में स्वीकृत करती है और उसमें भारत सरकार की यह शर्त होती है कि अन्तिम ऋण ग्रहीता को एक निर्धारित ब्याज की दर पर ही ऋण दिया जायगा तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ही लागू रहेगी। इसी प्रकार जहां राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं (जैसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग आदि) से प्राप्त धनराशि से ऋण दिया गया हो तो ब्याज की दर वही होगी जो उस संस्था द्वारा वर्ष 1996-97 के लिये निर्धारित की गई हो, यदि यह शर्त राज्य सरकार ने मान ली हो।

14–राजकीय उपक्रमों/निगमों तथा अन्य राजकीय स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कार्यशील पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं के पूर्ति अपनी वर्तमान सम्पत्ति (जैसे सामग्री भण्डार, कच्चा माल, तैयार माल, प्रगति पर चल रहे कार्यों आदि) को बन्धक रखकर भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त कर सकते हैं।

अतः सरकारी उपक्रमों आदि को सामान्यतः कार्यशील पूंजी के लिये ऋण स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जायेगा लेकिन यदि विशेष परिस्थितियों में कार्यशील पूंजी हेतु ऋण स्वीकृत किया जाता है तो इस ऋण की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थोपाय अग्रिमों को वसूली एक वर्ष के अन्दर की जायेगी।

15-राजकीय निगमों/उपक्रमों के लिये दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या बी-4-3773/दस-6-65 दिनांक 15 फरवरी, 1973 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश वैरिया,
विशेष सचिव।

संख्या बी-4-432 (1)/दस-96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1-समस्त विभागाध्यक्ष एवं मुख्यालयों के अध्यक्ष।
2-महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
3-सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
प्रेम प्रकाश वैरिया,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 73सा0वित--26-6-96--(938)--1966-2500(मेक0)।